न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

आर0 एम0 पी0 वाद सं0–10/2011–12

(33/2002)

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़–बनाम–ओटन दास एण्ड कम्पनी

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03

यह वाद विद्वान उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय आर0एम0पी0 वाद सं0–33/2002 में दिनांक–30.12.2011 को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत वाद पाकुड़ अंचल के मौजा–मालपहाड़ी के जमाबन्दी सं0–39/74, दाग सं0–226 अंतर्गत रकवा–04 ऐकड़ भूमि का विपक्षी ओटन दास एण्ड कम्पनी, पाकुड़ के नाम अवैध रूप से राजस्व पंजी–।। में सृजित जमाबंदी के विलोपन से संबंधित है। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्था0 रा0 वि0 वाद सं0–44/98–99 में दिनांक–24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है।

संबंधित पक्षकार को अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी/उत्तराधिकारी उपस्थित तो हुए परन्तु उनके द्वारा कोई कागजात/कारणपृच्छा इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख में विपक्षी का कारणपृच्छा दिनांक–29.04.1998 उपलब्ध है। जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का खनन पट्टा उन्हें प्राप्त हुआ था। जिसे रघु स्टोन वर्क्स को विधिवत हस्तांतरित कर दिया गया था। खनन पट्टा की अवधि 04.12.2002 तक थी। प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण विपक्षी के नाम से विधिवत किया गया था, जिसके विरूद्ध कोई अपील/रिविजन दायर नहीं किया गया है। अतः जमाबन्दी रद्द किया जाना उचित नहीं है।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत भूमि अनाबादी खाते की सरकारी भूमि है एवं किस्म पहाड़ है। प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी विपक्षी के नाम से किस वैद्य आधार पर सृजित किया गया है इस संदर्भ में कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के बावजूद दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी का स्वयं यह कहना है कि उक्त भूमि का खनन पट्टा उन्हें स्वीकृत किया गया था। खनन पट्टा के आधार पर लगान निर्धारण करना एवं पंजी–।। में जमाबन्दी सृजित करना नियम विरूद्ध, अनियमित एवं अवैद्य है। सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विपक्षी के नाम से राजस्व पंजी–।। में सृजित जमाबन्दी बिल्कुल अवैद्य तरीके से सृजित की गयी है। जिसका सरकार के हित में विलोपन किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी ओटन दास एण्ड कम्पनी, पाकुड़ के नाम से प्रश्नगत भूमि का राजस्व पंजी–।। में सृजित जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है।

अंचल अधिकारी, पाकुड को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रश्नगत अवैध जमाबंदी को विलोपित करते हुए उसे सरकारी कब्जे में ले लेगें एवं तद्संबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करेंगें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
पाकुड़।

अपर समाहर्त्ता,
पाकुड़।

Digitally signed by JEMES SURIN
Date: 2025.03.19 17:01:14 +05:30
Location: 192.168.0.115

Scanned with OKEN Scanner